Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
April 2024 5(4), 1728–1734

ROLE OF 'NARI SHAKTI VANDAN ACT 2023' IN WOMEN EMPOWERMENT

महिला सशक्तिकरण में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023' की भूमिका

Dr. Sakshi Mehta [1], Varsha Tiwari [2]

[1] Research Supervisor, Assistant Professor, Department of Political Science, Apex University, Jaipur, Rajasthan, India
[2] Research Scholar, Department of Political Science, Apex University, Jaipur, Rajasthan, India

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i4.2024.5205

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

ABSTRACT

English: When women take up any responsibility, they put in all their efforts to take the resolution to accomplishment. The biggest benefit of the Nari Shakti Vandan Act 2023 law will be that this law will create a lot of confidence in the women power of the country. The passion to work for the country, the power to take India forward will increase manifold. The project started by tribal women has today become a competitor to multinational companies, which introduces the women power of India. The country is going to benefit from this skill of women, their leadership in the coming days. The importance of women power has also been seen in Parliament. All the political parties of India have had to support this ordinance. Today, from family to panchayat, from economy to education and enterprise, women power is doing unprecedented work in every field. Women have played a very big role in taking India to the moon. Today, be it startups, self-help groups, or social campaigns like cleanliness, the participation and role of women is becoming the strength of the country. The Nari Shakti Vandan Act 2023 passed as the 128th amendment to the Indian Constitution seeks to empower the political participation of women by increasing the seats reserved for them in the Indian Parliament. This amendment aims to promote women's representation and make them more inclusive in decision-making processes.

Hindi: महिलाएँ जब कोई जिम्मेदारी संभालती है तो संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए वह जी-जान से जुट जाती हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कानून का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ये कानून देश की नारी शक्ति में बहुत बड़ा विश्वास पैदा करेगा। देश के लिए काम करने का जज्बा, भारत को आगे बढ़ाने की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। आदिवासी महिलाओं द्वारा शुरू किया गया प्रकल्प आज मल्टीनेशनल कंपनियों को टक्कर देने वाला बन गया है, जो भारत की नारी शक्ति का परिचय देता है। महिलाओं के इसी कौशल का, उनके नेतृत्व का लाभ आने वाले दिनों में देश को होने वाला है। संसद में भी नारी शक्ति का महत्व दिखा है। भारत के सभी राजनीतिक दलों को इस अध्यादेश का समर्थन करना पड़ा है। आज परिवार से लेकर पंचायत तक, अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा और उद्यम तक, नारी शक्ति हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रही हैं। भारत को चांद तक पहुंचाने में महिलाओं की वहुत बड़ी भूमिका रही है। आज स्टार्टअप हो, स्वयं सहायता समूह हो, या स्वच्छता जैसे सामाजिक अभियान हों, महिलाओं की भागीदारी और भूमिका देश की ताकत बन रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारतीय संविधान में 128वें संशोधन के रूप में पारित हुआ, जो भारतीय संसद में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को बढ़ाकर उनकी राजनीतिक भागीदारी को सशक्त बनाने का प्रयास करता है। यह संशोधन महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने और उन्हें निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में अधिक समावेशी बनाने का लक्ष्य रखता है।

Keywords: Women Empowerment, Nari Vandan Act, Nari Shakti, Participation of Women in Politics, महिला सशक्तिकरण, नारी वंदन अधिनियम, नारी शक्ति, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी।

1. प्रस्तावना

महिलाएँ भारतीय संस्कृति का आधार ही नहीं वरन लोक जीवन, धर्म व मानवता के विकास की कुंजी भी हैं। महिला जीवन के उदाŸा गुणों की सम्पोषिका भी है। वैदिक काल में ऋषि-मुनियों से लेकर आधुनिक समाज के विद्वानों ने स्त्री में दिव्य शक्ति को पहचाना व स्वीकार किया है। पंचायती राज व्यवस्था को एक जीवन दर्शन के रूप में जाना जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन का सर्वांगीण विकास करना है। प्राचीन काल में इसके अस्तित्व की पुष्टि वैदिक साहित्य, स्मृति ग्रन्थ और नीति ग्रन्थों, कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना 'अर्थशास्त्र' एवं मनु की रचना 'मनुस्मृति' आदि कृतियों से होती है। ये संस्थाएँ ग्रामीण विकास एवं स्थानीय राजनीतिक विकास की आधारशिला एवं प्रजातंत्र की प्रथम सीढ़ी है।

महिलाओं की राजनीतिक चेतना तथा देश में पनप रहे लोकतन्त्र और समानता के आधुनिक विचारों ने महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोंण में परिवर्तन लाने और उनकी स्थिति उन्नत करने में योगदान दिया। आज महिलाओं में काफी जागरुकता आ चुकी है। अब वह पर्दे में सिमटी हुई, चारदीवारी में बन्द नहीं रहती। आधुनिक महिलाओं में जातीय नियमों के प्रति भी उदासीनता पायी जाती है वे ऐसे प्रतिबन्धों की अब चिन्ता नहीं करतीं। आज भारतीय महिलायें सामाजिक क्षेत्र में भी आगे आने लगी हैं। अब वे समाज कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेती हंै, महिला मण्डलों का निर्माण और क्लबों की सदस्यता भी ग्रहण करती हैं। आजकल अनेक महिलायें रूढ़ियों के चंगुल से मुक्त हो चुकी हैं और स्वतंत्रता के वातावरण में साँस ले रही हैं।

समाज की यह धारणा कि महिलायें पुरुषों पर आश्रित हंै, इस बात में रुकावट उत्पन्न करती है कि महिलायें अपने महŸव को पहचाने और जाने कि वो भी समाज को बराबर रचनात्मक सहयोग दे सकती हैं या वे भी किसी गम्भीर विषय पर निर्णय ले सकती हैं। इन्हीं सब बातों का नतीजा यह होता है कि वे बड़े मुद्दों पर निर्णय लेने से कतराती हैं। करोड़ों भारतीय महिलाओं में से कुछ महिलाएँ ही अपने मन से निर्णय लेने का साहस करती हंै।

स्वतंत्र भारत के संविधान ने महिलाओं को वे सभी अधिकार दिए हैं, जिससे उसका सशक्तीकरण तथा विकास हो। संविधान के इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिलने की आषा बढ़ी है, उन्हें प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त हुई है। आज भारतीय महिला को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वकील, चिकित्सक, पायलट, न्यायाधीष, बिजनेस टायकून सभी पदों पर आसीन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रोज नए कानूनों का निर्माण हो रहा है तथा भेदभाव कम हो रहा है। पिछले 25-30 वर्षों में अनेक ऐसे कानून महिलाओं के पक्ष में आए हैं जिनसे उनका जीवन आसान हुआ है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 से देश के निर्माण में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इससे राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण और विधायी निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए वास्तविक अर्थों में प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय-समय पर दोहराया है कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास करेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी प्रयास का परिणाम है। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 अथवा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है।

19 सितम्बर 2023 का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। गणेश चतुर्थी पर नई संसद में पहली बार कामकाज हुआ और वर्षों से लंबित महिला आरक्षण बिल पेश हुआ। इस घटना ने 140 करोड़ की आबादी में 50ः हिस्से वाली मातृशक्ति को सच्चे अर्थों में सम्मानित करने का काम किया। यह महिला सशक्तिकरण के लिए राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि यह महिला सशक्तिकरण की मान्यता का मुद्दा है। इसके बाद से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता मोदी सरकार की श्वास और प्राण बनकर उभरे हैं। महिलाएं, पुरुषों से भी सशक्त हैं।

इस विधेयक से अब डिसीजन और पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की भागीदारी बढेगी। इससे समाज व्यवस्था की त्रुटि सुधरेगी। महिलाओं की प्रतिभागिता और सम्मान बढ़ेगा। विश्व को संदेश मिला कि 'वीमेन लीड डवलपमेंट' की कल्पना साकार करने को पूरा सदन एकमत है।महिला आरक्षण विधेयक लाने को पहले की सरकारों ने भी चार प्रयास किए थे। यह बिल पहली बार 1996 में देवगौड़ा सरकार लाई। अटल सरकार 1998 में यह विधेयक लेकर आई, विपक्ष ने इसे सदन में पेश नहीं करने दिया। अटल सरकार पुनः बिल लेकर आई पर एक बार फिर इस पर चर्चा नहीं हो सकी। डॉ. मनमोहन सिंह सरकार संशोधन विधेयक राज्यसभा में लेकर आई, जहां पारित होने के बाद यह विधेयक लोकसभा में आ ही नहीं सका। सर्वानुमति से संविधान संशोधित कर मातृशक्ति को आरक्षण देने का काम ऐतिहासिक है। संसद में आने वाले सदस्यों की तीनों श्रेणियों- सामान्य (इसमें ओबीसी शामिल हैं), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में मोदी सरकार ने 33ः आरक्षण महिलाओं को दिया है।

संविधान संशोधन की धारा 330 (ए) और धारा 332 (ए) के माध्यम से महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया। तीनों श्रेणियों में वर्टिकल आरक्षण देकर एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं। डिलिमिटेशन कमीशन देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है। वह नियुक्ति से होता है पर क्वासी ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसमें चुनाव आयुक्त के प्रतिनिधि भी होते हैं। जिन एक-तिहाई सीटों को रिजर्व करना है, उनका चयन डिलिमिटेशन कमीशन करेगा। यह कमीशन हर राज्य में जाकर, ओपन हियरिंग देकर पारदर्शी पद्धति से नीति निर्धारण करता है। डिलिमिटेशन कमीशन लाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य पारदर्शिता है। इसके गठन से किसी प्रकार की देरी नहीं होगी, चुनाव के बाद जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे। जल्द ही वह दिन आएगा जब इस सदन में एक-तिहाई महिला सांसद बैठकर देश के भाग्य को तय करेंगी। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा वर्ष 1996 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से ही की जाती रही है। तत्कालीन सरकार के पास बहुमत नहीं होने के कारण इस विधेयक को स्वीकृति नहीं मिल सकी। इस बार केंद्र में भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत में है। इसलिए विधेयक आसानी से पारित हो गया। इसके पारित होने से राजनीतिकरण पर भी विराम लग गया। निःसंदेह इस विधेयक लागू होने से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

यह अधिनियम महिला सशक्तिकरण और भारतीय समाज में लैंगिक समानता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं-

- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान।
- **शैक्षिक अवसर:** उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण और विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।
- **रोजगार में समानता:** सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण और निजी क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:** महिला उद्यमियों के लिए विशेष वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- **स्वास्थ्य सुरक्षा:** महिलाओं के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा और मातृत्व लाभ।
- **कार्यस्थल पर सुरक्षा:** यौन उत्पीड़न के खिलाफ कड़े कानून और शिकायत निवारण तंत्र।
- **घरेलू हिंसा से सुरक्षा:** पीड़ित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता और पुनर्वास सुविधाएं।
- **डिजिटल सशक्तिकरण:** महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और तकनीकी प्रशिक्षण।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हो, उनकी भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़े, और वे देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकें। यह अधिनियम भारत को एक ऐसे समतामूलक समाज की ओर ले जाने का प्रयास करता है, जहां हर महिला सशक्त, स्वतंत्र और सम्मानित महसूस करे।

2. नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की चुनौतियाँ

हालांकि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, फिर भी इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ हैं-

- **सामाजिक रूढ़िवादिता:** समाज में गहरी जड़ें जमाए बैठी पितृसत्तात्मक मानसिकता इस अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है।
- **आर्थिक बाधाएं:** इस अधिनियम के तहत प्रस्तावित योजनाओं के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती हो सकती है।
- **जागरूकता की कमी:** ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इस अधिनियम के बारे में जागरूकता की कमी इसके प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डाल सकती है।
- **प्रशासनिक चुनौतियाँ:** इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता होगी।
- **कानूनी जटिलताएं:** मौजूदा कानूनों के साथ इस नए अधिनियम के समन्वय में कुछ कानूनी जटिलताएं हो सकती हैं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का भविष्य

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का भविष्य काफी उज्जवल दिखाई देता है, लेकिन इसके सफल कार्यान्वयन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है।

- **नियमित मूल्यांकन:** अधिनियम के प्रभाव का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए और आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाने चाहिए।
- **क्षमता निर्माण:** सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म:** अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा सकता है।
- **अंतर-मंत्रालयी समन्वय:** विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय से अधिनियम का कार्यान्वयन और अधिक प्रभावी हो सकता है।
- **जागरूकता फैलाना:** समाज के हर वर्ग को इस अधिनियम के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है।
- **सामाजिक बदलाव:** लैंगिक समानता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है।
- **सहयोग:** सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज को मिलकर इस अधिनियम के कार्यान्वयन में सहयोग करना चाहिए।
- **शिक्षा का महत्व:** समाज को यह समझना होगा कि महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पूरे समाज के विकास के लिए आवश्यक है।
- **पुरुषों की भागीदारी:** महिला सशक्तिकरण में पुरुषों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इस प्रकार विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में सशक्त एवं सामथ्र्यशाली नारी की अहम भूमिका का प्रत्यक्ष रूपांतरण विभिन्न मोर्चों पर महिलाओं के प्रतिभा प्रदर्शन में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। वर्ष 2023 समृद्ध एवं सामरिक समानता का भव्य मानचित्र उकेरने में समर्थ रहा और 2024 इस भव्यता को भारत की विकास यात्रा की आधारशिला के रूप में परिलक्षित करता है। यह वर्ष अमृत काल के शुभारंभ में नारी शक्ति वंदन में किये गये प्रयासों के सफल परिणामों का साक्ष्य है। यह विकसित भारत के चैथे स्तंभ "नारी शक्ति" के पुनरुत्थान का शंखनाद है।

एनडीए के कार्यकाल में सकारात्मक योजनाओं के माध्यम से वर्तमान सरकार ने भारतीय नारी का सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक उत्थान सुनिश्चित कर सशक्त बनाने का समर्थन किया है। उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हो, उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में हुई 28 प्रतिशत की वृद्धि हो या विश्व में सर्वाधिक 43 प्रतिशत एसटीईएम पाठ्यक्रमों में लड़कियों और महिलाओं का नामांकन एसटीईएम पाठ्यक्रमों में लड़कियों और महिलाओं का नामांकन, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नित नये कीर्तिमान स्थापित कर रही है।

आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक उत्थान की त्रिविधि से समृद्धि की राह पर, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में भी महिलाओं की समृद्धि में सकारात्मक परिवर्तन की झलक दिखती है। ये आंकड़े सिर्फ आर्थिक नहीं, आधी आबादी के अनगिनत सपनों को उड़ान देने वाले वायुयान हैं। वर्तमान केन्द्र सरकार की नारी शक्ति को समर्पित नीतियों ने दशकों से चल रहीं महिला-सशक्तिकरण की कपोलकल्पित चर्चाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लेकर उनका अधिकार एवं सम्मान दिलाया है। सदियों से धूल फांकती फाइलों से निकालकर, पूरजोर विरोध के बावजूद, नयी संसद के पहले सत्र का शुभारंभ नारी शक्ति वंदन अधिनियम से 33 प्रतिशत आरक्षण के अधिकार का गरिमापूर्ण फैसला लेकर किया। कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति का अदम्य साहस और शौर्य साक्ष्य है कि भारत की नारी प्रत्येक मोर्चे पर प्रतिभा के नये सोपान चढ़ रही है। 2024 के बजट में नारी शक्ति को समर्पित कई योजनाएं शामिल हैं जो नारीशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं।

महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण और स्वावलंबी बनाने के लिये योजनाएं, विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए बजट की अधिक राशि, और महिला उद्यमियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने में सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। पिछले दस वर्षों में अब तक एक करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। 9 करोड़ महिलाएं, 83 लाख हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी हुई हैं। इसी क्रम में महिला उद्यमिता को सशक्त व सक्षम बनाने के उद्देश्य से लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 2 करोड़ से 3 करोड़ किया गया है। महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रयास किए गए है।

माताओं एवं उनके शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल में व्यापक कार्यक्रम के तहत मोदी सरकार ने न केवल बेहतर पोषण वितरण का ध्यान रखा है, बल्कि प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में भी तेजी से कदम बढ़ाया जा रहा है। पोषण 2.0 के तहत एक नया योजनात्मक उपाय अपनाकर सरकार ने शिशुओं को उनके पहले 1000 दिनों में सबसे आवश्यक पोषण की पूर्ति करने के लिए प्रयास किया है। इसके साथ ही, आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित करने के लिए पोषण 2.0 की पहल के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का अपग्रेड होगा, जिससे बच्चों को उत्तम पालन-पोषण मिलेगा।

टीकाकरण के प्रबंधन और गहनता के लिए नए डिजाइन किए गए यू-विन प्लेटफॉर्म की उपयोग वैक्सीनेशन प्रक्रिया को व्यापक, सुरक्षित और प्रभावी बनाए रखने में मददगार साबित होगा। मिशन इंद्रधनुष के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न राज्यों में टीकाकरण की वृद्धि के लिए मिशन को विस्तारित किया है। यह महिलाओ और बच्चों को आसानी से उपयुक्त टीके प्राप्त करने का अवसर और रोगों से बचाव में मदद के साथ समृद्ध भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का परिणाम स्वरूप ये नीतियाँ न सिर्फ भारत के वर्तमान को सुदृढ करती हैं बल्कि भविष्य को भी बलशाली एवं सुरक्षित बनाती हैं।

यह वर्ष अमृत काल के आरंभ में नारीशक्ति के पुनरुत्थान में मील का पत्थर साबित होगा जो समाज में सामरिक समानता के साथ नारीशक्ति के शौर्य, सामथ्र्य, त्वरित निर्णायक क्षमता और संकल्प की शक्ति को संबल प्रदान करेगा। यह युगपरिवर्तन का काल है जहां मोदी सरकार की महिलाओ के सार्वभौमिक विकास की नीतियां नारिशक्ति के लिये वह सूर्योदय है जो विकसित भारत के निर्माण में नारीशक्ति के अद्भुत कीर्तिमान के लिए नये द्वार खोल कर अप्रतिम योगदान सुनिश्चित करेंगी।

निष्कर्षतः नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये अधिनियम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इसके प्रावधान महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। हालांकि, इसके कार्यान्वयन में सामाजिक रूढ़िवादिता और जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार, नागमहिलाएँ भारतीय संस्कृति का आधार ही नहीं वरन लोक जीवन, धर्म व मानवता के विकास की कुंजी भी हैं। महिला जीवन के उदाŸा गुणों की सम्पोषिका भी है। वैदिक काल में ऋषि-मुनियों से लेकर आधुनिक समाज के विद्वानों ने स्त्री में दिव्य शक्ति को पहचाना व स्वीकार किया है। पंचायती राज व्यवस्था को एक जीवन दर्शन के रूप में जाना जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन का सर्वांगीण विकास करना है। प्राचीन काल में इसके अस्तित्व की पुष्टि वैदिक साहित्य, स्मृति ग्रन्थ और नीति ग्रन्थों, कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना 'अर्थशास्त्र' एवं मनु की रचना 'मनुस्मृति' आदि कृतियों से होती है। ये संस्थाएँ ग्रामीण विकास एवं स्थानीय राजनीतिक विकास की आधारशिला एवं प्रजातंत्र की प्रथम सीढ़ी है।

महिलाओं की राजनीतिक चेतना तथा देश में पनप रहे लोकतन्त्र और समानता के आधुनिक विचारों ने महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोंण में परिवर्तन लाने और उनकी स्थिति उन्नत करने में योगदान दिया। आज महिलाओं में काफी जागरुकता आ चुकी है। अब वह पर्दे में सिमटी हुई, चारदीवारी

में बन्द नहीं रहती। आधुनिक महिलाओं में जातीय नियमों के प्रति भी उदासीनता पायी जाती है वे ऐसे प्रतिबन्धों की अब चिन्ता नहीं करतीं। आज भारतीय महिलायें सामाजिक क्षेत्र में भी आगे आने लगी हैं। अब वे समाज कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेती हंै, महिला मण्डलों का निर्माण और क्लबों की सदस्यता भी ग्रहण करती हैं। आजकल अनेक महिलायें रूढ़ियों के चंगुल से मुक्त हो चुकी हैं और स्वतंत्रता के वातावरण में साँस ले रही हैं।

समाज की यह धारणा कि महिलायें पुरुषों पर आश्रित हंै, इस बात में रुकावट उत्पन्न करती है कि महिलायें अपने महŸव को पहचाने और जाने कि वो भी समाज को बराबर रचनात्मक सहयोग दे सकती हैं या वे भी किसी गम्भीर विषय पर निर्णय ले सकती हैं। इन्हीं सब बातों का नतीजा यह होता है कि वे बड़े मुद्दों पर निर्णय लेने से कतराती हैं। करोड़ों भारतीय महिलाओं में से कुछ महिलाएँ ही अपने मन से निर्णय लेने का साहस करती हंै।

स्वतंत्र भारत के संविधान ने महिलाओं को वे सभी अधिकार दिए हैं, जिससे उसका सशक्तीकरण तथा विकास हो। संविधान के इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिलने की आषा बढ़ी है, उन्हें प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त हुई है। आज भारतीय महिला को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वकील, चिकित्सक, पायलट, न्यायाधीष, बिजनेस टायकून सभी पदों पर आसीन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रोज नए कानूनों का निर्माण हो रहा है तथा भेदभाव कम हो रहा है। पिछले 25-30 वर्षों में अनेक ऐसे कानून महिलाओं के पक्ष में आए हैं जिनसे उनका जीवन आसान हुआ है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 से देश के निर्माण में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इससे राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण और विधायी निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए वास्तविक अर्थों में प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय-समय पर दोहराया है कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास करेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी प्रयास का परिणाम है। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 अथवा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है।

19 सितम्बर 2023 का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। गणेश चतुर्थी पर नई संसद में पहली बार कामकाज हुआ और वर्षों से लंबित महिला आरक्षण बिल पेश हुआ। इस घटना ने 140 करोड़ की आबादी में 50ः हिस्से वाली मातृशक्ति को सच्चे अर्थों में सम्मानित करने का काम किया। यह महिला सशक्तिकरण के लिए राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि यह महिला सशक्तिकरण की मान्यता का मुद्दा है। इसके बाद से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता मोदी सरकार की श्वास और प्राण बनकर उभरे हैं। महिलाएं, पुरुषों से भी सशक्त हैं।

इस विधेयक से अब डिसीजन और पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की भागीदारी बढेगी। इससे समाज व्यवस्था की त्रुटि सुधरेगी। महिलाओं की प्रतिभागिता और सम्मान बढ़ेगा। विश्व को संदेश मिला कि 'वीमेन लीड डवलपमेंट' की कल्पना साकार करने को पूरा सदन एकमत है।महिला आरक्षण विधेयक लाने को पहले की सरकारों ने भी चार प्रयास किए थे। यह बिल पहली बार 1996 में देवगौड़ा सरकार लाई। अटल सरकार 1998 में यह विधेयक लेकर आई, विपक्ष ने इसे सदन में पेश नहीं करने दिया। अटल सरकार पुनः बिल लेकर आई पर एक बार फिर इस पर चर्चा नहीं हो सकी। डॉ. मनमोहन सिंह सरकार संशोधन विधेयक राज्यसभा में लेकर आई, जहां पारित होने के बाद यह विधेयक लोकसभा में आ ही नहीं सका। सर्वानुमति से संविधान संशोधित कर मातृशक्ति को आरक्षण देने का काम ऐतिहासिक है। संसद में आने वाले सदस्यों की तीनों श्रेणियों- सामान्य (इसमें ओबीसी शामिल हैं), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में मोदी सरकार ने 33ः आरक्षण महिलाओं को दिया है।

संविधान संशोधन की धारा 330 (ए) और धारा 332 (ए) के माध्यम से महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया। तीनों श्रेणियों में वर्टिकल आरक्षण देकर एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं। डिलिमिटेशन कमीशन देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है। वह नियुक्ति से होता है पर क्वासी ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसमें चुनाव आयुक्त के प्रतिनिधि भी होते हैं। जिन एक-तिहाई सीटों को रिजर्व करना है, उनका चयन डिलिमिटेशन कमीशन करेगा। यह कमीशन हर राज्य में जाकर, ओपन हियरिंग देकर पारदर्शी पद्धति से नीति निर्धारण करता है। डिलिमिटेशन कमीशन लाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य पारदर्शिता है। इसके गठन से किसी प्रकार की देरी नहीं होगी, चुनाव के बाद जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे। जल्द ही वह दिन आएगा जब इस सदन में एक-तिहाई महिला सांसद बैठकर देश के भाग्य को तय करेंगी। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा वर्ष 1996 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से ही की जाती रही है। तत्कालीन सरकार के पास बहुमत नहीं होने के कारण इस विधेयक को स्वीकृति नहीं मिल सकी। इस बार केंद्र में भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत में है। इसलिए विधेयक आसानी से पारित हो गया। इसके पारित होने से राजनीतिकरण पर भी विराम लग गया। निःसंदेह इस विधेयक लागू होने से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

यह अधिनियम महिला सशक्तिकरण और भारतीय समाज में लैंगिक समानता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं-

- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान।
- **शैक्षिक अवसर:** उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण और विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।
- **रोजगार में समानता:** सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण और निजी क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:** महिला उद्यमियों के लिए विशेष वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- **स्वास्थ्य सुरक्षा:** महिलाओं के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा और मातृत्व लाभ।

- **कार्यस्थल पर सुरक्षा:** यौन उत्पीड़न के खिलाफ कड़े कानून और शिकायत निवारण तंत्र।
- **घरेलू हिंसा से सुरक्षा:** पीड़ित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता और पुनर्वास सुविधाएं।
- **डिजिटल सशक्तिकरण:** महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और तकनीकी प्रशिक्षण।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हो, उनकी भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़े, और वे देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकें। यह अधिनियम भारत को एक ऐसे समतामूलक समाज की ओर ले जाने का प्रयास करता है, जहां हर महिला सशक्त, स्वतंत्र और सम्मानित महसूस करे।

3. नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की चुनौतियाँ

हालांकि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, फिर भी इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ हैं-

- सामाजिक रूढ़िवादिता: समाज में गहरी जड़ें जमाए बैठी पितृसत्तात्मक मानसिकता इस अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है।
- आर्थिक बाधाएं: इस अधिनियम के तहत प्रस्तावित योजनाओं के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती हो सकती है।
- जागरूकता की कमी: ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इस अधिनियम के बारे में जागरूकता की कमी इसके प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डाल सकती है।
- प्रशासनिक चुनौतियाँ: इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता होगी।
- कानूनी जटिलताएं: मौजूदा कानूनों के साथ इस नए अधिनियम के समन्वय में कुछ कानूनी जटिलताएं हो सकती हैं।

4. नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का भविष्य

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का भविष्य काफी उज्जवल दिखाई देता है, लेकिन इसके सफल कार्यान्वयन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है।

- **नियमित मूल्यांकन:** अधिनियम के प्रभाव का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए और आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाने चाहिए।
- **क्षमता निर्माण:** सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म:** अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा सकता है।
- **अंतर-मंत्रालयी समन्वय:** विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय से अधिनियम का कार्यान्वयन और अधिक प्रभावी हो सकता है।
- **जागरूकता फैलाना:** समाज के हर वर्ग को इस अधिनियम के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है।
- **सामाजिक बदलाव:** लैंगिक समानता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है।
- **सहयोग:** सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज को मिलकर इस अधिनियम के कार्यान्वयन में सहयोग करना चाहिए।
- **शिक्षा का महत्व:** समाज को यह समझना होगा कि महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पूरे समाज के विकास के लिए आवश्यक है।
- **पुरुषों की भागीदारी:** महिला सशक्तिकरण में पुरुषों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इस प्रकार विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में सशक्त एवं सामथ्र्यशाली नारी की अहम भूमिका का प्रत्यक्ष रूपांतरण विभिन्न मोर्चों पर महिलाओं के प्रतिभा प्रदर्शन में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। वर्ष 2023 समृद्ध एवं सामरिक समानता का भव्य मानचित्र उकेरने में समर्थ रहा और 2024 इस भव्यता को भारत की विकास यात्रा की आधारशिला के रूप में परिलक्षित करता है। यह वर्ष अमृत काल के शुभारंभ में नारी शक्ति वंदन में किये गये प्रयासों के सफल परिणामों का साक्ष्य है। यह विकसित भारत के चैथे स्तंभ "नारी शक्ति" के पुनरुत्थान का शंखनाद है।

एनडीए के कार्यकाल में सकारात्मक योजनाओं के माध्यम से वर्तमान सरकार ने भारतीय नारी का सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक उत्थान सुनिश्चित कर सशक्त बनाने का समर्थन किया है। उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हो, उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में हुई 28 प्रतिशत की वृद्धि हो या विश्व में सर्वाधिक 43 प्रतिशत एसटीईएम पाठ्यक्रमों में लड़कियों और महिलाओं का नामांकन एसटीईएम पाठ्यक्रमों में लड़कियों और महिलाओं का नामांकन, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नित नये कीर्तिमान स्थापित कर रही है।

आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक उत्थान की त्रिविधि से समृद्धि की राह पर, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में भी महिलाओं की समृद्धि में सकारात्मक परिवर्तन की झलक दिखती है। ये आंकड़े सिर्फ आर्थिक नहीं, आधी आबादी के अनगिनत सपनों को उड़ान देने वाले वायुयान हैं। वर्तमान केन्द्र सरकार की नारी शक्ति को समर्पित नीतियों ने दशकों से चल रहीं महिला-सशक्तिकरण की कपोलकल्पित चर्चाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लेकर उनका अधिकार एवं सम्मान दिलाया है। सदियों से धूल फांकती फाइलों से निकालकर, पूरजोर विरोध के बावजूद, नयी संसद के पहले सत्र का शुभारंभ नारी शक्ति वंदन अधिनियम से 33 प्रतिशत आरक्षण के अधिकार का गरिमापूर्ण फैसला लेकर किया। कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति का अदम्य साहस और शौर्य साक्ष्य है कि भारत की नारी प्रत्येक मोर्चे पर प्रतिभा के नये सोपान चढ़ रही है। 2024 के बजट में नारी शक्ति को समर्पित कई योजनाएं शामिल हैं जो नारीशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं।

महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण और स्वावलंबी बनाने के लिये योजनाएं, विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए बजट की अधिक राशि, और महिला उद्यमियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने में सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। पिछले दस वर्षों में अब तक एक करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। 9 करोड़ महिलाएं, 83 लाख हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी हुई हैं। इसी क्रम में महिला उद्यमिता को सशक्त व सक्षम बनाने के उद्देश्य से लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 2 करोड़ से 3 करोड़ किया गया है। महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रयास किए गए है।

माताओं एवं उनके शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल में व्यापक कार्यक्रम के तहत मोदी सरकार ने न केवल बेहतर पोषण वितरण का ध्यान रखा है, बल्कि प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में भी तेजी से कदम बढ़ाया जा रहा है। पोषण 2.0 के तहत एक नया योजनात्मक उपाय अपनाकर सरकार ने शिशुओं को उनके पहले 1000 दिनों में सबसे आवश्यक पोषण की पूर्ति करने के लिए प्रयास किया है। इसके साथ ही, आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित करने के लिए पोषण 2.0 की पहल के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का अपग्रेड होगा, जिससे बच्चों को उत्तम पालन-पोषण मिलेगा।

टीकाकरण के प्रबंधन और गहनता के लिए नए डिजाइन किए गए यू-विन प्लेटफॉर्म की उपयोग वैक्सीनेशन प्रक्रिया को व्यापक, सुरक्षित और प्रभावी बनाए रखने में मददगार साबित होगा। मिशन इंद्रधनुष के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न राज्यों में टीकाकरण की वृद्धि के लिए मिशन को विस्तारित किया है। यह महिलाओ और बच्चों को आसानी से उपयुक्त टीके प्राप्त करने का अवसर और रोगों से बचाव में मदद के साथ समृद्ध भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का परिणाम स्वरूप ये नीतियाँ न सिर्फ भारत के वर्तमान को सुदृढ करती हैं बल्कि भविष्य को भी बलशाली एवं सुरक्षित बनाती हैं।

यह वर्ष अमृत काल के आरंभ में नारीशक्ति के पुनरुत्थान में मील का पत्थर साबित होगा जो समाज में सामरिक समानता के साथ नारीशक्ति के शौर्य, सामथ्र्य, त्वरित निर्णायक क्षमता और संकल्प की शक्ति को संबल प्रदान करेगा। यह युगपरिवर्तन का काल है जहां मोदी सरकार की महिलाओ के सार्वभौमिक विकास की नीतियां नारिशक्ति के लिये वह सूर्योदय है जो विकसित भारत के निर्माण में नारीशक्ति के अद्भुत कीर्तिमान के लिए नये द्वार खोल कर अप्रतिम योगदान सुनिश्चित करेंगी।

निष्कर्षतः नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये अधिनियम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इसके प्रावधान महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। हालांकि, इसके कार्यान्वयन में सामाजिक रूढ़िवादिता और जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार, नागरिक समाज और आम जनता को मिलकर काम करना होगा। ये अधिनियम न केवल महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा, बल्कि पूरे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी योगदान देगा, जिससे भारत एक समावेशी, न्यायसंगत और समृद्ध राष्ट्र बन सकेगा।

रिक समाज और आम जनता को मिलकर काम करना होगा। ये अधिनियम न केवल महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा, बल्कि पूरे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी योगदान देगा, जिससे भारत एक समावेशी, न्यायसंगत और समृद्ध राष्ट्र बन सकेगा।

संदर्भ

अखण्ड ज्योति, अंक-10, वर्ष अक्टूबर 2006, अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा, पृ. सं. 20-21
चट्टोपाध्याय, कमलादेवी, दि अवेकनिंग ऑफ़ इण्डियन वूमेन, इवरी मेंस प्रेस, मद्रास, 1958, पृ. सं. 56
देसाई, नीरा, वूमेन इन इण्डियन सोसायटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2001, पृ. सं. 22
जैन, कमलेश, नारी सशक्तिकरण: कल, आज और कल, मानव अधिकार: नई दिशाएँ, वार्षिक, अंक-10, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली, 2013, पृ. सं. 1-14.
नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विश्लेषण रू नीति और निर्णय में बढ़ेगी महिला हिस्सेदारी, नवभारत टाइम्स, 28 सितम्बर, 2023
नारी शक्ति वंदन अधिनियमरूमहिला आरक्षण कानून, अमर उजाला समाचार पत्र, 29 सितम्बर, 2023
नई संसद का 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के साथ श्रीगणेश, दैनिक जागरण, 19 सितम्बर, 2023
गुर्जर, सौम्या आलेख ''युग परिवर्तन की आधारशिला है 'नारी शक्ति वंदन''', एनडीटीवी, 2 फरवरी, 2024